



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विधिकार्यपालक मील सं. 33/2014 जिला अजमेर ETO Mr. D. I. Jaiswal

उनवान

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	---------------------------------	---

28-4-2014	<p>श्री मदन लाल - सदस्य श्री अमर सिंह - सदस्य</p> <p>उपराजकीय अधिकारी श्री एन. के. अर्जुन श्री अशोक अकील श्री ... उपरिष्ठा।</p> <p>उपराजकीय अधिकारी ने निवेदन किया कि काट बोर्ड की पूर्व खण्डपीठ द्वारा दिनांक 17-10-2013 को निर्दिष्ट किया कि अपील का कि कादेश प्राप्त के तब (3) माह के काल लाभित अपील का विचारण कि जाये परन्तु अपील अधिकारी ने पत्रांक 3438 दिनांक 17-02-2014 द्वारा सूचित किया है कि अपील विचारण के तब काट काट की सम्बन्धित है काट अधिकारी को वदल के अपील का विचारण नहीं हो सका। अतः काट काट अहकाम किडाग साधारण वकील ने कोई आपत्ति नहीं कि हमने उपरोक्त अहकाम सुनी एवं विवेक पूर्वक पत्र में निम्नलिखित तथ्यों का अवलोकन किता गह खण्डपीठ अधीन ममजाली है कि उक्त प्रकार से अपील अधिकारी के तब लाभित अपील का विचारण करते हुए (3) माह का काट काट किता जात उचित पत्रांक इस काट के द्वारा एव कि किता काट काट भी जाती रहेगा।</p> <p>अतः उपरोक्त तथ्यों कि विवेक पूर्वक, पत्र 2-वीला किता जात है।</p> <p style="text-align: center;">  जयसिंग जय कोठे </p> <p style="text-align: right;">  जयसिंग जय कोठे </p>	
-----------	---	--